

7  $\frac{5}{25}$

पत्रावली पैरा 1. पार्थी व वकील पार्थी को  
बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2  
आवाज लगाने के पश्चात भी पार्थी  
व वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर  
नहीं आये। अतः पार्थी का पार्थना  
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI अधिनियम  
हाजरी अधिनियम पैरवी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली पैरा 1  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
दाखिल दफ्तर है।

*(Signature)*

उपसचिव अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)